उत्पाद सुरक्षा समृद्धि

बिहार राज्य भंडार निगम

बी–2, प्रथम तल, मौर्यलोक परिसर, पटना–1

निगम के वरीय अंकेक्षक, कनीय अंकेक्षक, सहायक एवं पी.सी.डी.ओ. के पदों पर संविदा पर कार्य करने हेतु अस्थायी पैनल निर्माण के लिए सूचना

बिहार राज्य भंडार निगम अन्तर्गत विभिन्न पदों पर आवश्यकतानुसार कार्य करने हेतु सरकारी / अर्द्ध सरकारी संस्थानों से सेवानिवृत्त कर्मियों का पैनल निगम स्तर पर निर्माण कर उसी पैनल से निगम स्तर पर गठित समिति के माध्यम से संविदा पर नियोजन करने का निदेशक पर्षद की दिनांक 13.12.2019 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में बिहार राज्य भंडार निगम, (पता– बी–2, प्रथम तल, मौर्यलोक, पटना–01) सरकारी / अर्द्ध सरकारी संस्थानों से सेवानिवृत्त वरीय अंकेक्षक (या समकक्षीय पद),
कनीय अंकेक्षक (या समकक्षीय पद), सहायक (या समकक्षीय पद) एवं पी.सी.डी.ओ. (या समकक्षीय पद पदचर/परिचारी/अनुसेवक) जिनकी आयु दिनांक 01.08.2019 को 63 वर्ष से कम हो, से पैनल निर्माण के लिए Online आवेदन विहित प्रपत्र में आमंत्रित करता है:–

क्र.	पदनाम	अहर्ता
1.	वरीय अंकेक्षक (या समकक्षीय पद)	1. सरकारी/ अर्द्ध सरकारी संस्थान से वरीय अंकेक्षक (या समकक्षीय पद) के पद से सेवानिवृत्त कर्मी। 2. वरीय अंकेक्षक (या समकक्षीय पद) के कार्य का कम से कम दस वर्षो का अनुभव।
2.	कनीय अंकेक्षक (या समकक्षीय पद)	1. सरकारी/ अर्द्ध सरकारी संस्थान से कनीय अंकेक्षक (या समकक्षीय पद) के पद से सेवानिवृत्त कर्मी। 2. कनीय अंकेक्षक (या समकक्षीय पद) के कार्य का कम से कम दस वर्षो का अनुभव।
3.	सहायक (या समकक्षीय पद)	1. सरकारी/ अर्द्ध सरकारी संस्थान से सहायक (या समकक्षीय पद) के पद से सेवानिवृत्त कर्मी। 2. सहायक (या समकक्षीय पद) के कार्य का कम से कम दस वर्षो का अनुभव।
4.	पी.सी.डी.ओ. (या समकक्षीय पद पदचर/परिचारी/अनुसेवक)	1. सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान से पी.सी.डी.ओ. (या समकक्षीय पद पदचर/परिचारी/अनुसेवक) के पद से सेवानिवृत्त कर्मी। 2. पी.सी.डी.ओ. (या समकक्षीय पद पदचर/ परिचारी/अनुसेवक) के कार्य का कम से कम दस वर्षो का अनुभव।

Online आवेदन भरने हेतु दिनांक 15.01.2020 से दिनांक 25.01.2020 के अपराह्न 5:00 बजे तक तिथि निर्धारित है। आवेदन के साथ सेवानिवृत्ति एवं अन्य संबंधित कागजातों/प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के लिए आवेदक जवाबदेह होंगे।

अर्हता एवं शर्त्तें निम्नवत् है:–

1) **चयन का आधार:–** सरकारी/ अर्द्ध सरकारी संस्थान से वरीय अंकेक्षक (या समकक्षीय पद), कनीय अंकेक्षक (या समकक्षीय पद), सहायक (या समकक्षीय पद) एवं पी.सी.डी.ओ. (या समकक्षीय पद पदचर/परिचारी/अनुसेवक) के पद से सेवानिवृत्त कर्मी का चयन पैनल में किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

2) **पैनलः–** पैनल बिल्कूल अस्थायी होगा एवं सम्प्रति इसकी वैद्यता एक वर्ष की होगी। आवश्यकतानुसार अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। पैनल का निर्माण निगम स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

3) **आयु सीमाः–** अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना दिनांक 01.08.2019 के आधार पर की जायेगी। अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.08.2019 को 63 वर्ष से कम होना चाहिए।

4) **योग्यता एवं अनुभवः–**

(i) वरीय अंकेक्षक (या समकक्षीय पद), कनीय अंकेक्षक (या समकक्षीय पद), सहायक (या समकक्षीय पद) के आवेदक उक्त पद से सेवानिवृत्त कर्मी होंगे तथा पी.सी.डी.ओ. (या समकक्षीय पद पदचर/परिचारी/अनुसेवक) पद के आवेदक उक्त पद से सेवानिवृत्त कर्मी होंगे।

(ii) उक्त पद विशेष पर अधिक वर्षों तक कार्य कर चुके अनुभवी आवेदक को वरीयता दी जायेगी।

5) **वरीयता आधारः–** पैनल निर्माण में निम्नलिखित पहलुओं पर वरीयता दी जायेगीः–

(क) बिहार सरकार एवं इसके अधीनस्थ अर्द्ध सरकारी संस्थान/ लोक उपक्रम से सेवानिवृत्त कर्मी।

(ख) वरीय अंकेक्षक (या समकक्षीय पद), कनीय अंकेक्षक (या समकक्षीय पद), सहायक (या समकक्षीय पद) एवं पी.सी.डी.ओ. (या समकक्षीय पद पदचर/परिचारी/अनुसेवक) पद पर अधिक वर्षों के कार्य अनुभव धारक।

(ग) भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडार निगम एवं राज्य खाद्य निगम से सेवानिवृत्त कर्मी।

6) **संविदाः–** निर्मित पैनल से संविदा पर कार्य करने के लिए निगम स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुशंसित सुयोग्य कर्मी से आवश्यकतानुसार अनुबंध किया जायेगा। प्रबंध निदेशक / सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी एवं सम्यक निर्णय लिया जायेगा।

7) **मानदेयः–**

(क) सरकारी संस्थान से सेवानिवृत्त आवेदक जिनका नियोजन निर्मित पैनल से संविदा पर किया जायेगा को सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त मूल वेतन एवं ग्रेड पे तथा उसपर तत्समय देय महंगाई भत्ता का योगफल में से मूल पेंशन (Commutation सहित) एवं उसपर सेवानिवृत्ति तिथि को देय महंगाई राहत का योगफल घटाने पर जो राशि आयेगा वही राशि संविदा मानदेय के रूप में प्रति माह अनुमान्य होगा

(ख) अर्द्ध सरकारी संस्थान से सेवानिवृत्त आवेदक जिनका नियोजन निर्मित पैनल से संविदा पर किया जायेगा को सेवानिवृत्ति के समय अनुमान्य पे बैण्ड का प्रारम्भिक वेतन + उस प्रारम्भिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य महंगाई भत्ता की राशि का योगफल के समतुल्य होगा परन्तु इस प्रकार से परिगणित मानदेय सेवानिवृति के समय प्राप्त वेतन एवं उसपर अनुमान्य महंगाई भत्ता के योगफल से अधिक नहीं होगा। अधिक होने की स्थिति में सेवानिवृति के समय वेतन + महंगाई भत्ता के योगफल ही पारिश्रमिक के रूप में अनुमान्य होगा। इस प्रकार निर्धारित मानदेय संविदा अवधि में स्थिर रहेगा। इस प्रकार अनुबंध परिलब्धियों में सभी भत्ता समाहित होगा।

Scanned by CamScanner

सेवानिवृत्त एवं संविदा नियोजन के बीच वेतन / पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।

8) सेवानिवृत्त आवेदक को अन्तिम पदस्थापन संस्थान से निर्गत स्वच्छता प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

9) पैनल में सम्मिलित होने हेतु संबंधित आवेदक को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना होगा।

10) निर्मित पैनल से संविदा पर कार्यरत कर्मी को सरकारी सेवकों की सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।

11) निर्मित पैनल से नियोजित कर्मी को सरकारी सेवकों को देय सुविधायें अनुमान्य नहीं होगा।

12) वैसे आवेदक जिनपर कोई निगरानी का मामला / विभागीय कार्यवाही / गंभीर आरोप विचाराधीन / दण्डाध्यारोपित हो / अपराधिक मामला दर्ज हों का चयन पैनल में नहीं किया जायेगा।

13) निर्मित पैनल से संविदा पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे।

14) संविदा पर नियोजन के उपरांत यदि नियोजित कर्मी का पुनर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

15) निर्मित पैनल में किसी भी प्रकार का विवाद/शिकायत पर प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम/सक्षम प्राधिकार का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

16) बिना कारण बताये प्रकाशित सूचना में किसी भी प्रकार का संशोधन करने/इसे स्थगित करने एवं रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को होगा जो अन्तिम एवं मान्य होगा।

17) आवेदन के साथ सेवानिवृत्ति एवं अन्य संबंधित कागजातों/प्रमाण पत्रों की स्व अभि प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

18) पूर्ण आवेदन यथावश्यक अभिलेखों के साथ दिनांक 15.01.2020 से दिनांक 25.01.2020 के अपराह्न 5:00 बजे तक ही स्वीकार्य होगा।

19) निर्मित पैनल के आधार पर निगम स्तरीय समिति द्वारा संविदा पर नियोजन हेतु अनुशंसित सुयोग्य कर्मी को उनके द्वारा समर्पित कागजात/अभिलेखों के सत्यापन हेतु अलग से सूचना दी जायेगी।

प्रबंध निदेशक

Scanned by CamScanner